न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 176 / 2021 प्रार्थनापत्र

हरगोविन्द पुत्र श्री किशोर लाल मीणा आयु वयस्क निवासी— अजमेर रोड़, जयपुर जिला जयपुर (राज0)

——— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

——— विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धरा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित :—

1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता—विपक्षी

:: निर्णय ::

दिनांक— 24 / 08 / 2021

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने धारा 136 लैण्ड़ रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि सरहद सूलिया पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 419 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 420 रकबा 0.2023 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थी के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी जो कि वादी की अन्य आराजी नम्बर 1984 / 1951 से लेकर 421 तक सटमा है व समान्तर रूप से प्रार्थी का कब्जा है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 22 / 07 / 2021 को पटवार हल्का से जमाबंदी की नकल व नक्शा ट्रेस प्राप्त की तो प्रार्थी को जानकारी मे आया कि आराजी नम्बर 419 एवं 420 जो कि मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम नही है। जिसे न्यायहित मे मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम करायी व साथ ही आराजी नम्बर 1984 / 1951 का पूर्व की लटा शीट अनुसार 416 व 1984 / 1951 के मध्य का भू भाग पूर्वानुसार 1984 / 1951 मे मिला लटाशीट अनुसार शुद्व किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व विपक्षी को नोटिस जारी किया गया व विपक्षी द्वारा जवाब पेश कर सरहद सूलिया की आराजी नम्बर 419, 420 जो कि सेटलमेन्ट पूर्व के नम्बर व आराजी [illegible] नम्बर 1984 / 1951 से लेकर 421 तक सटा हुआ एवं सीधा समान्तर [illegible] के कब्जे मे है व आराजी नम्बर 1984 / 1951 नक्शा लठा [illegible] है परन्तु ऑन लाईन आराजी नम्बर 1984 / 1951 एंव आराजी नम्बर 416 के बीच (आराजी नम्बर 1984 / 1951 एवं 416 के बीच) गेप आ गया व आराजी नम्बर 420, 419 पर खातेदार मोके पर कब्जा अनुसार काश्त करना बताया गया व मौका रिपोर्ट *पटवारहल्कगोवर्धनपुरा भी पेश की गयी व मौका कब्जा नक्शा भी पेश किया गया,* जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:32:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

———लगातार

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए ऑन लाईन तरमीम में हुई अशुद्धि को कब्जे अनुसार शुद्ध करने हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं रेकार्ड का अवलोकन किया। पटवार हल्का के मौका रिपोर्ट एवं जबाव तहसीलदार एवं भूमिधारी के अनुसार ऑन लाईन तरमीम में हुई अशुद्धि को कब्जे अनुसार तरमीम होने पक्षकारो के हितो पर विपरीत प्रभाव नही पडेगा। अतः कब्जे अनुसार तरमीम शुद्ध करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर सरहद सूलिया पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 419, 420 को मौका पर्चा व कब्जे अनुसार ऑनलाईन तरमीम किये जाने व 416 व 1984/1951 को के मध्य का भू भाग पूर्वानुसार 1984/1951 मे मिला लट्ठाशीट अनुसार दुरूस्त कर ऑनलाईन तरमीम करायी जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर मय कब्जा नक्शा जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

यह आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:32:33 IST
Reason: SelfAttested